उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 84/2017/1263/छप्पन-17-24/2017
लखनऊ, दिनांक: 08 नबम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन इकाई एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रवक्ता (एयरो) के रिक्त पद पर कु0 स्नेहा गुप्ता को शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के द्वारा संविदा सेवा पर रुपए 45,600/- (रूपए पैंतालीस हजार छः सौ मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि सहित कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्ति किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कुमारी स्नेहा गुप्ता को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थाई राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा।

3- कु0 स्नेहा गुप्ता से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करा कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित प्रवक्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव |

कु0 स्नेहा गुप्ता,
मकान संख्या- 581/ 646, न्यू रहीमाबाद, शान्तिनगर,
सरोजिनी नगर, लखनऊ |

संख्या- 84/2017/1263(1)/छप्पन-2017,तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि कु0 स्नेहा गुप्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन और एक प्रति सम्बन्धित प्रवक्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार- प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद|
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ|
4- वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ|
5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 |
6- कार्मिक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 |
7- सम्बन्धित प्रवक्ता की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए/ गार्ड फाइल|

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।